

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए
बिजली उपकरणों से
उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनीयों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम्स के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशंस के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलि, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल विलयर्स जहां लाइन किसी विलिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11,000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

हाई वोल्टेज डिप्लोमेसी: 40+ देशों के 60+ प्रतिनिधि दिल्ली के डिजिटल और हरित परिवर्तन के साक्षी बने

अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस (ISA) की 8वीं असेंबली के तहत, 40 से अधिक देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों – जिनमें मंत्री, राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे – ने नई दिल्ली के किलोकरी में स्थित भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन यूटिलिटी-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का दौरा किया। इस अग्रणी परियोजना का विकास बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) द्वारा किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका, एंटिगुआ और बारबुडा, यमन और लाइबेरिया के माननीय मंत्री शामिल थे। इनके साथ दिल्ली सरकार (GNCTD) के माननीय मंत्री श्री रवींद्र सिंह, ऊर्जा सचिव श्री नीरज सेमवाल, और आईएसए के महानिदेशक श्री आशीष खन्ना भी उपस्थित थे। बीएसईएस के निदेशक एवं ग्रुप सीईओ श्री अमल सिन्हा और बीआरपीएल के सीईओ श्री अभिषेक रंजन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

इस दौरे के दौरान बीएसईएस ने दो राष्ट्रीय स्तर की पहली उपलब्धियां प्रदर्शित कीं – दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट / 40 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और भारत का पहला बड़े पैमाने पर विकसित पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिजिटल ट्विन, जो दिल्ली की स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन यात्रा को दर्शाता है।



अब सूरज चुकाएगा आपका बिल!

सौर ऊर्जा अपनाइए
और बिजली का बिल
घटाइए-शून्य तक!*



सोलर के लिए संपर्क करें

☎ कॉल:	19123 (Ext: 3)
✉ मिसड कॉल:	9052552509
✉ ईमेल:	netmetering.brpl@reliancegroupindia.com
🌐 वेबसाइट:	rts.bsesdelhi.com

*नियम और शर्तें लागू

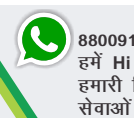


वॉट्सएप सपोर्ट 88009 19123 | सुविधाजनक | तुरंत | 24 x 7

आपूर्ति से संबंधित
शिकायतें दर्ज करें
• बिजली गुल
• कम वोल्टेज
• आपातकाल

बिल और भुगतान सहायता
• बिल देखें व भुगतान करें
• बिल विवरण
• भुगतान रसीद

LECTRA पुरस्कार
• बैलेंस चेक करें
• पॉइंट रिडीम करें



8800919123 पर
हमें Hi कहें और
हमारी निम्नलिखित
सेवाओं का लाभ उठाएं

टॉल फ्री 24x7
19123

अपने फीडबैक भेजें: कारपोरेट कम्युनिकेशन, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

CIN No.: U40109DL2001PLC111527, GSTIN: 07AAGCS3187H223 | 19123 | www.bsesdelhi.com | www.facebook.com/bsesdelhi | https://twitter.com/BSEDELHI

संवाद में एडवर्टाइज के लिए brpl.bdg@reliancegroupindia.com पर ईमेल करें | बीआरपीएल राजधानी पावर लिमिटेड संवाद में प्रकाशित एडवर्टाइजमेंट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेवार नहीं है।